उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 2867/XXVII(9)/स्टाम्प/2006
देहरादून: दिनांक 30 अक्टूबर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करते हुए कार्यभार ग्रहण कराने हेतु अधिकतम एक माह का समय प्रदान करना तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह तक समय बढ़ाने एवं एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर समस्त सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में प्रतीक्षा सूची का निर्माण न किये जाने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–2607/XX(II)/2005 दिनांक 27.08.2005 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है। इस बीच शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभागों द्वारा लोक सेवा आयोग से चयनित सूची उपलब्ध होने के उपरान्त लम्बी अवधि तक या एक वर्ष से अधिक अवधि तक कतिपय चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त कतिपय विभाग द्वारा सामान्य पत्राचार में ''प्रतीक्षा सूची'' अथव ''अतिरिक्त चयन'' सूची शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।

इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

(1) लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा चयनों के आधार पर चयनित अभयर्थियों की चयन सूची का उपयोग, ऐसी चयन सूची प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् ऐसी रिक्तियेां को अग्रेनीत करके आगामी चयन वर्ष में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) एकल संवर्ग के पदों के लिए जहां प्रतीक्षा सूची का निर्माण किये जाने की व्यवस्था है, सामान्य पत्राचार में ''अतिरिक्त चयन सूची'' का उल्लेख नहीं किया जायेगा बल्कि ''प्रतीक्षा सूची'' का उल्लेख किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 2867/XXV(2)/स्टाम्प/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. मण्डलायुक्त कुमाऊँ एवं गढ़वाल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।